विरुद्ध - वादी तहसीलदार, बनेड़ा बनाम अंबर (राज्य)
No. → 64/18

6/2/18

पत्रावली पेश हुई उभय पक्ष उपस्थित पिठासीन अधिकारी का स्थानान्तरण / दौरे अवकाश में पधारें हैं / अन्य राजकार्य में व्यस्त है / अतः अवकाश पत्रावली साबिक आदेश दिनांक 22/1/19 को पेश हो।

Not press

आज्ञा से,
रीडर

तहसीलदार
बनेड़ा जिला

22.01.2019

पत्रावली पेश हुई। विपक्षीगण नियत ~~शिविर में~~ सुनवाई पर अनुपस्थित। वादी यानि राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार बनेडा ने यह वादपत्र अन्तर्गत धारा 88 आर.टी.एक्ट बाबत सहखातेदारान के हिस्सों के सही विभक्तीकरण करा, घोषणात्मक डिक्री चाहने अनुतोष आशय से यह राजस्व वाद पत्र प्रस्तुत किया है। जिसमें आज वक्त सुनवाई वादी राज्य पक्ष तहसीलदार बनेडा ने इसी मौजूदा वादपत्र में अब आगे कोई कार्यवाही नही चाहने का कथन रखते हुए प्रमाण में आदेशिका पर नोट प्रेस का अंकन कर हस्ताक्षर किये गये।

ऐसी स्थिति में इस वादपत्र में अब आगे कोई कार्यवाही अपेक्षित नही रह जाती है। अतः वादी का वादपत्र वादी के नोट प्रेस किये जाने से इसी स्तर पर ड्रोप किये जाने के आदेश पारित किये जाते है।

पत्रावली नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।